**STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE INDUSTRIAL RECONSTRUCTION BANK (TRANSFER OF UNDERTAKINGS AND REPEAL) ORDINANCE, 1997**

**AND**

**THE INDUSTRIAL RECONSTRUCTION BANK (TRANSFER OF UNDERTAKINGS AND REPEAL) BILL, 1997**

SHRI RAMDAS AGARWAL (Rajasthan): Madam, I beg to move the following Resolution:

> "That this House disapproves of the Industrial Reconstruction Bank (Transfer of Undertakings and Repeal) Ordinance, 1997 (No.7 of 1997) promulgated by the President on the 24th January, 1997."

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Minister, please move the ...*(interruptions)*

SHRI RAGHAVJI (Madhya Pradesh): Madam, the Member should speak first. He has moved the Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): After the Minister moves the motion ...*(interruptions)*... Please go ahead.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): Madam, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the transfer and vesting of the undertakings of the Industrial Reconstruction Bank of India to and in the Company to be formed and registered as a Company under the Companies Act, 1956, and for matters connected therewith or incidental thereto and also to repeal the Industrial Reconstruction Bank of India Act, 1984, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, the Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI), as the hon. Members are aware, was constituted under the Industrial Reconstruction Bank of India Act, 1984. The Charter of the Bank stipulates that it shall function as the principal credit and reconstruction agency for industrial revival and co-ordinate similar work of other financial institutions as well as assist and promote industrial development and rehabilitate industrial concerns. Subsqeuently, the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act (SICA) was enacted in 1985 with a view to ensure timely detection of sick and potentially sick companies, speedy determination of suitable measures in respect of such companies and for enforcement of these measures. Under the provisions of SICA, the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), the coordination and catalytic role for rehabilitation has become strongly institutionalised in BIFR.

4.00 P.M.

Currently, financial institutions and commercial banks are nursing sick units in their own portfolio. Keeping in view that the role of IRBI as principal agency for reconstruction and rehabilitation of sick units was no longer there, it was felt that there is a need to redefine the role and functions of IRBI and transform it into a fullfledged all-purpose development financial institution.

Presently, IRBI's profitability and other parameters have been adversely affected due to its asset structure having got heavily burdened with non-performing assets and implementation of provisioning norms prescribed by the Reserve Bank of India. Hon. Members are aware that several changes in the financial sector during the last five years or so have made it vital for the financial institutions to raise funds largely from the capital market. This poses great difficulties for IRBI which hitherto did not have to be competitive in resource mobilisation. IRBI's survival in the existing financial system would, therefore, depend crucially

on its ability to mobilise resources, equity as well as debt, competitvely and transmute these into high quality assets. IRBI, if continued in its present form, would not be in a position to garner adequate resources for growth and would continue to remain uncompetitive *vis-a-vis* other all-India finanical institutions. It is also necessary to give IRBI greater functional autonomy and operational flexibility in its operations.

The Bill also empowers the Central Government to reduce equity capital of IRBI and/or convert equity into redeemable preference shares. This would facilitate financial restructuring of IRBI. Conversion of IRBI into a company incorporated under the Companies Act, 1956 is expected to provide flexibility and consequent ability to the new company in responding to the fast changing financial system, in reshaping its business strategy, in providing it greater managerial autonomy and operational flexibility and also enable it to enter the capital market for equity and debt.

In his Budget Speech in July, 1996, the Finance Minister had announced that the IRBI would be transformed into a full-fledged all-purpose development finance institution. In order to speedily implement the proposal and as Parliament was not in session, the President promulgated the Industrial Reconstruction Bank (Transfer of Undertakings and Repeal) Ordinance, 1997 (7 of 1997) dated 24th January, 1997. The Bill seeks to replace that Ordinance.

I submit that this Bill be taken into consideration and passed.

*The questions were proposed.*

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): The Statutory Resolution and the motion for consideration of the Bill are now open for discussion.

SHRI RAMDAS AGARWAL: Madam, I disapprove this Bill. It is the tradition of the House that the mover of the Statutory Resolution should speak first. Since you called the Minister I kept quiet. Now you have to give me an opportunity to speak.

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): I would just like to take the sense of the House. Sometimes, it happens like this. Now let everybody speak and after that you will reply.

SHRI RAMDAS AGARWAL: In that case the importance of the disapproval will be lost.

SHRI RAGHAVJI: Madam, I think he can speak on the Statutory Resolution now and the Members can speak immediately after him.

SHRI RAMDAS AGARWAL: You can take it up now, Madam.

SHRI RAGHAVJI: He should speak first because we have taken up the Statutory Resolution and the Bill together.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): The Member has a right of reply. At that time, he can make his speech.

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): Madam, we can make any adjustment. That is a different matter. Mr. Agarwal can yield to Mr. Pranab Mukherjee. That is a different matter. So far as our rules are concerned, under rule 123, the mover of a Statutory Resolution has a right to move the Resolution and he has also a right to speak on that Resolution. The House has the right to reject that motion. The consideration of the Bill will come only after that. Suppose a particular Resolution is carried. Then the Bill relating to that is out of question. Even when the Resolution and the Bill are considered together, the practice in this House is that the mover of the Statutory Resolution has the right to speak first.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Bihar): Madam, the procedure in the House is

that the mover of a Resolution disapproving of a Bill gets the priority and he has the right to move it and also to speak on it. He is the right to reply also. Mr. Ramdas Agarwal has moved the motion, but he did not speak on the Resolution. I think he should be allowed to avail of that opportunity and exercise his right to reply.

SHRI SATISH AGARWAL: Even after disapproving of the Bill, he will have the right to reply.

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): My point is that at the time of reply, after the hon. Members conclude their speeches, he can speak.

**श्री रामदास अग्रवाल:** मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप मुझे कृपा करके बोलने का अवसर दे दें क्योंकि जो व्यवस्था है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे)** देखिये, अभी आप बोलना चाहेंगे।

**श्री रामदास अग्रवाल:** मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी रिक्वेस्ट पर ध्यान दें।

SHRI RAGHAVJI: Madam, Mr. Agarwal is the only speaker.

**श्री एस० एस० अहलुवालिया:** जिस टाइम मोशन मूव किया था उसी टाइम पर आपको बोलना चाहिये था।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) :** उसी टाइम पर बोलना चाहिये था। उस टाइम पर तो आप बोले नहीं। पांच मिनट मिनिस्टिर बोल चुके थे तब आपने कहा।

How can I stop the Minister? I cannot stop the Minister at that point of time.

SHRI RAMDAS AGARWAL: Mr. Raghavji pointed out that to you.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): He did not. Nobody pointed out that to me.

SHRI RAMDAS AGARWAL: When it was pointed out, you said that the Minister had already started speaking and that he was just moving the Bill.

SHRI RAGHAVJI: Madam, Mr. Agarwal is the only speaker from the BJP party.

THE VICE- CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, let Mr. Pranab Mukherjee speak.

**श्री रामदास अग्रवाल:** जैसी आपकी आज्ञा।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे):** मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका रिप्लाई होगा तब आप अपने विचारों को रखियेगा। ठीक है?

**श्री रामदास अग्रवाल:** तब तक तो विषय खत्म हो जाता है।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे):** खत्म कैसे होगा? खत्म नहीं होगा। मिनिस्टर का रिप्लाई भी होगा। श्री प्रणव मुखर्जी।

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): I think we need not go into the technicalities. If the hon. Member, Mr. Agarwal, wants to speak first, let him speak first.

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): If the House desires so, I don't mind it.

SHRI RAGHAVJI: The House has no objection.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): If nobody has any objection, I also don't have any objection. Now, Shri Ramdas Agarwal.

**श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान):** उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। मैं इस अध्यादेश के विरोध में खड़ा हुआ हूं। महोदया, यह इस सदन की प्रथा है, व्यथा है और कथा है कि जब आर्डिनेंस जारी होता है तो चाहे उधर वाले यहां बैठे हों या हम उधर बैठे हों, अध्यादेश का विरोध करते हैं। यह एक परंपरा हो गई है। यह रेगुलर फीचर है। इसलिए इस अध्यादेश के विरोध में मैं आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह आई० आर० बी० आई० बैंक 1985 में बना, इसको अब लगभग 12 साल पूरे हो गये हैं।

महोदया, 12 साल के अन्दर इस बैंक का जो कार्यकलाप रहा, जिस उद्देश्य के लिए इस बैंक का गठन किया गया था, उस पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। जब यह बैंक बनाया गया था तो उस समय इसका उद्देश्य यह रखा गया था, इसका नाम भी इंडस्ट्रीयल रिकंस्ट्रक्शन बैंक है कि जो रुग्ण इकाइयां हैं, जो इकाइयां अनप्रोफिटेबल हो गई हैं, अनवर्केबल हो रही है किन्हीं कारणों से उन रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार करने के लिए, उनकी पुनर्रचना करने के लिए, उन्हें पुनः प्रारम्भ करने के लिए, इस बैंक का गठन किया गया था। जब हम 12 साल के बाद इसका अब अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं उस समय हमें इसका विचार करना पड़ेगा कि जो रुग्णों को ठीक करने के लिए, बीमारों को ठीक करने के लिए बैंक बनी थी वह 12 साल बाद खुद इतनी बीमार हो गई कि अब हम उसको अंतिम क्रिया में पहुंचाएं। यह तो मुझे एक किस्सा याद आता है। हमारे एक मित्र डाक्टर थे, जो पागलखाने के डाक्टर थे। पागलों का इलाज़ करते थे। मैंने 10-12 साल बाद देखा कि वह पागलों का इलाज़ करते-करते खुद पागल हो गए। तो यही हालत इस बैंक की हो गई है कि इसका उद्देश्य बीमार इकाइयों को ठीक करना था। उनको इस प्रकार की स्थिति में लाना कि वे काम आरंभ कर सकें और औद्योगिक उत्पादन में भाग ले सकें।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Minister, I believe you are listening to what the hon. Member is saying.

**श्री रामदास अग्रवाल:** तो इसलिए यह समस्या हमारे सामने आ गई कि बीमारों को ठीक करने वाले डाक्टरों को खुद हम पागलखाने भेज रहे हैं। महोदया, इस उद्देश्य का वास्तव में बड़ा लाभ था इस बैंक के गठन से जो सिक यूनिट्स थे उनको फिर से चालू करने के लिए एक व्यवस्था, एक उद्देश्य सोचा गया और बड़ा अच्छा उद्देश्य था कि क्योंकि आखिर जहां इंडस्ट्रीज़ काम करेंगी, उद्योग काम करेंगे उनमें कई प्रकार की कमियां आने के कारण वे बंद हो सकते हैं। उनके अंदर कुछ रुग्णताएं आ सकती हैं, सिकनैस आ सकती है और उस सिकनैस को दूर करने के लिए कोई एक बैंक होना चाहिए ताकि वह उसको सहायता देकर, सहारा देकर आगे बढ़ सके। रुग्ण इकाइयों के लिए एक सहारा देने का काम था। सहारा देने का जो काम है वह इस बैंक ने कितना किया इसने अपना आब्जैक्ट भी पूरा किया या नहीं, 12 साल में आर० बी० आई० की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ् इंडिया की तरफ से 1991 के बाद से फंड मिलना बंद हो गया। इसको कहां से पैसा मिलेगा, बजटरी सपोर्ट में कमी आती चली गई। रिज़र्व बैंक की तरफ से इसको लो रेट ऑफ् इन्टरेस्ट पर रुपया मिलना था ताकि रुग्ण इकाइयों को कम रेट ऑफ् इन्टरेस्ट पर लोन दे सके, सहायता कर सके। यह भी बंद कर दिया गया। तो जब आप स्वयं अगर इसको रुग्ण करने पर तुल गए हैं तो फिर इसके उद्देश्य में इतनी सारी बड़ी बातें जो हमने कही थीं उसकी क्या कीमत रही देश के सामने, देश की जनता के सामने? जनता हमारा मखौल करेगी कि हमने एक बड़े उद्देश्य के लिए एक अच्छे बैंक की स्थापना की थी और आज हम उसी उद्देश्य की पूर्ति हुए बगैर उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। महोदया, आखिर तो यह विचार का सवाल है और इसलिए मैं इसका विरोध करना चाहता हूं क्या हमारे वित्त मंत्री महोदय यह दावे से कह सकते हैं कि अब इस देश में कोई इंडस्ट्री सिक नहीं होगी, बीमार नहीं होगी और अगर बीमार इंडस्ट्रीज़ हैं और आगे भी हो सकती हैं तो उनकी रुग्णता को दूर करने के लिए क्या हम कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं? क्या हम उस व्यवस्था को जो मौजूद है उसको समाप्त करने जा रहे हैं। बी० आई० एफ० आर० के बारे में कहा जाता है कि बी० आई० एफ० आर० ने स्वयं ने इस आर० बी० आई० को अपना आपरेटिंग एजेंसी बनाया हुआ है। वह भी इसी के माध्यम से रुग्ण इकाइयों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। आज भी इस देश के अंदर तीन लाख यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ की इकाइयां हैं जो सिक हैं और ठीक से काम नहीं कर रही हैं, उनमें कुछ न कुछ कमी है। उसके कारण औद्योगिक उत्पादन और देश की औद्योगिक तरक्की में कोई सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। महोदया, इसके कारण यह सवाल आपके सामने, हमारे सामने आ गया है कि हम इन रुग्ण इकाइयों की संख्या जो बढ़ती जा रही है प्रतिवर्ष उनकी मदद के लिए कौन सी आल्टरनेटिव व्यवस्था हम करना चाहते हैं या फिर हमने यह तय कर लिया है कि यह सारे के सारे तीन लाख यूनिट्स भाड़ में जाएं जिनको जाना है, जिनको मरना हैं मरें, बंद करना है तो बंद करें और वहां के कर्मचारी और मजदूर जहां उनको जाना है, जाएं। महोदया, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आई० आर० बी० आई० की जो आफिसर्ज़ एसोसिएशन है कलकत्ता से उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि अगर तीन लाख यूनिट्स जो इस देश में हैं और अगर तीन लाख यूनिट्स को जो सिक हैं, उनकी सहायता के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई तो फिर

यह हजारों, लाखों मजदूर और कर्मचारी बेकार हैं, उनकी सहायता के लिए कोई मैकेमिज़्म चाहिए, क्योंकि खाली बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ अकेला उन सब की मदद नहीं कर सकता।

अगर हम यह मानते हैं कि अकेला बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ मदद करने में सक्षम हैं, तो बहुत अच्छी बात है और फिर मैं वित्त मंत्री जी से यह सवाल करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर आलरेडी फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, बैंक्स मौजूद हैं, आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ है, आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ है, आई॰ एफ॰ सी॰ आई॰ है, एल॰ आई॰ सी॰ है, यू॰ टी॰ आई॰ है—ये सब फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में मदद करती हैं तो फिर इस आई॰ आर॰ बी॰ आई॰ को खत्म कर के हम फुल-फ्लैज्ड बैंक क्यों बनाना चाहते है? जब 5-6 कंपनीज मौजूद हैं, बैंक्स मौजूद हैं फिर इस की क्या जरूरत है? अगर अकेला बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ सारी सिक इंडस्ट्रीज को नियंत्रित कर सकता है, सहायता कर सकता है, उन की रुग्णता को दूर कर सकता है तो फिर आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ जिस की कैपिटल 7 हजार करोड़ रुपया है, आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ जिसकी कि कैपिटल 6 हजार करोड़ रुपया है, आई॰ एफ॰ सी॰ आई॰ जिसकी की कैपिटल 4 हजार करोड़ रुपया है तो फिर एक हजार करोड़ रुपए की कंपनी बनाने की क्या आवश्यकता है? महोदया, मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह आदेश जारी किया गया क्योंकि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कलकत्ता में कोई एक वायदा किया था कि मैं 31 मार्च के पहले-पहले कोई बैंक वहां बना दूंगा। अब यह वित्त मंत्री जी का वायदा जरूर पूरा होना चाहिए। महोदया, हम यहां सदन में रोज देखते हैं कि मंत्रियों के वायदे कितने पूरे होते हैं? वायदे को पूरा करने के लिए आर्डिनेंस जारी किया जा रहा है। वायेद को पूरा करने के लिए सारी मशीनरी को तेज गति से दौड़ाया जा रहा है। महोदया, और भी कई वायदे हैं जिन्हें उन्होंने पूरा नहीं किया होगा। इस देश की गरीबी को हटाने के लिए हर वित्त मंत्री प्रोमिस करता रहता है, लेकिन गरीबी नहीं हट पाई है। और भी बहुत सारी समस्याएं रही है। इसलिए मैं यह निवेदन विशेष रूप से करना चाहता हूं कि आई॰ आर॰ बी॰ आई॰ को स्थापित करने का जो निर्णय किया गया है, उस को फुल-फ्लैज्ड इनस्टीट्यूशन में कनवर्ट करने के लिए जो निर्णय किया गया है, यह दूरदर्शी निर्णय नहीं है। यह इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसलिए किसी प्रकार की व्यवस्था में रुग्ण इकाइयों को ठीक करने के लिए, उन को सुव्यवस्थित करने के लिए, उन को आरंभ रखने के लिए, उनका उत्पादन देश के उत्पादन में लाभदायक बन सके, इसके लिए आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था बनी रहे और उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि बजाय इसके कि हम इस बैंक को बंद करें, आप उसको बजटरी सपोर्ट दें। उसके लिए आप उसको कंसेशनल रेट पर लोन दे सकते हैं तो लोन दें, दूसरी इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए कंसेशनल रेट पर लोन दें, तब तो रिवाइवल हो सकेगा, रिकंस्ट्रक्शन हो सकेगा इंडस्ट्रीज का। इसको बंद कर देने से तो इंडस्ट्रीज का रिवाइवल नहीं हो सकता।

इसलिए मैं इस अध्यादेश का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, एक दूसरा पक्ष और है जिस का कि मैं आप के सामने निवेदन करना चाहता हूं। इस कंपनी को 13 साल हो गए और 200 करोड़ रुपए का इसका कैपिटल है। उसमें से, इस समय यह कहा गया है कि 74 करोड़ रुपया "राइट-ऑफ" कर दिया जाएगा जोकि नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। महोदया, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 200 करोड़ में से 75 करोड़ रुपया तो राइट ऑफ करना है। फिर तो कैपिटल खत्म। मैं यह जानना चाहूंगा कि 75 करोड़ रुपया गया कहां? नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स में कनवर्ट क्यों हुआ? इस दौरान में अब तक इस बैंक ने मार्च, 96 तक कुल 2983 करोड़ रुपया लोन रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया है। उस में से 2552.17 करोड़ रुपया इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया है और पब्लिक सेक्टर को कुल 226 करोड़ रुपया दिया है। अब यह जो 75 करोड़ डूब रहा है, यह प्राइवेट सेक्टर में गया। कुछ पब्लिक सेक्टर में भी थोड़ा-बहुत होगा। एक कंपनी की 35 परसेंट कैपिटल डूब जाय और हम उस को जल्दबाजी में पास कर दें और उस बैंक का काम भी पूरा कर दें, तो आखिर इस देश की सरकार को जवाब तो देना होगा कि यह 75 करोड़ रुपया कहां गया? कौन से नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स में यह डूब रहा है? इस देश को आप बताइए कि इतना रुपया डूब रहा है तो क्यों डूब रहा है और अगर डूब रहा है तो किन लोगों के कारण डूब रहा है और कौन इस पैसे को हजम कर रहे हैं? यह सब जानकारी तो चाहिए कि 75 करोड़ रुपया जा कहां रहा है? महोदया, आजकल तो यह बात ठीक है और मैं भी मानता हूं कि आजकल 75 करोड़ रुपए की वेल्यू नहीं है। आजकल जो घोटाले होते हैं, सैकड़ों, करोड़ों में होते हैं, महोदया, अभी थोड़ी देर पहले ही आपके समक्ष चर्चा हो रही थी पिछले घोटालों की, उनके मुकाबले में 75 करोड़ के घोटाले की बात मैं करूंगा तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन इस देश के गरीब आदमी के लिए 75 करोड़ रुपया बहुत

होता है। इस देश के सत्तासीन राजनीतिज्ञों के लिए शायद हजारों करोड़ के घोटालों की कीमत नहीं होती होगी, उन घोटालों में उनको इन पैसों की चिंता नहीं होती होगी, लेकिन इस देश का गरीब आदमी तो एक-एक पैसे के लिए मोहताज होता है और उसके लिए जवाब मांगता है और हम सदन में होने के कारण यह जानना चाहेंगे, जनता की तरफ से, कि हमारा यह 75 करोड़ रुपया, 35.1 परसैंट केपिटल कहां चला गया? इस केपिटल को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए और अगर आप यह कहते है कि आगे चलकर आप इसकी केपिटल एक हजार करोड़ रुपया बनाएंगे तो मुझे इसकी कोई गारंटी नहीं लगती है कि सरकार की तरफ से प एक हजार करोड़ रुपए में से फिर 35 या 40 परसैंट केपिटल बर्बाद न हो जाए और दस साल के बाद आकर आप फिर कहें कि यह जो फाइनेंशियल इनस्टीटयूशन हमने बनाया था, यह तो बेकार साबित हुआ, इसके भी असैट्स को राइट आफ कर दो। महोदया, यह सिलसिला बहुत खराब है, इसको रोका जाना चाहिए। अगर इसको रोका नहीं गया तो फिर इस देश का रुपया इसी तरह से बर्बाद होगा, इसी तरह से बहता रहेगा, कुछ लोगों की जेब में जाता रहेगा, भ्रष्टाचार में चला जाएगा, पक्षपात में चला जाएगा, बेइमानी में चला जाएगा। आज हमारे देश का रुपया डूबते जाने के कारण पूरा देश आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ा है, जिसके ऊपर सबको चिंता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि आप इस बैंक को समाप्त करने की कोशिश करें, उसके पहले आप कुछ बिन्दुओं पर देश को बताएं कि इस देश के अंदर यह जो बैंक आप बनाने जा रहे हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? बड़े अच्छे उद्देश्य हैं आपके क्योंकि आपने कहा है कि ईस्टर्न सैक्टर में, अर्थात हमारे नार्थ-ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में और इस तरफ इंडस्ट्री के विस्तार के लिए यह बैंक खास तौर से काम करेगा और यह बैंक वहीं पर जाएगा। वित्त मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह बात कही है कि मैंने कलकत्ता में वायदा किया हुआ है, मैंने इसका उद्घाटन 31 तारीख को करना है। मैं इस संबंध में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या आई० डी० बी० आई० की ब्रांचिज़ पूर्वी भारत में नहीं हैं? क्या आई० एफ० सी० आई० वहां काम नहीं करती है? क्या एल० आई० सी० और आई० डी० बी० आई० वहां काम नहीं करती हैं? क्या यही एक बैंक बनने से वहां के सैक्टर का लाभ होगा! कितना होता है एक हजार करोड़ रुपया? वित्त मंत्री जी ने अवश्य यह बात कही है कि हम इसकी केपिटल जो 75 करोड़ रुपए है, इसलिए राइट आफ कर रहे हैं ताकि यह बैंक बाजार में जाए। आजकल बाजार में जाने का बड़ा शौक है, सरकारी कम्पनियों को भी बड़ा शौक है और पहले कई कम्पनियां एवम् बैंक बाजार में गए थे और बाजार में जाकर अपने कपड़े नीलाम कराकर, कपड़े उतारकर नंगे होकर सड़क पर आ गए थे यह हालत इस बैंकों की हुई है। नेशनल हाउसिंग बैंक का 1200 करोड़ रुपया इसी उद्देश्य के लिए लगाया गया था ...(**व्यवधान**)... आर्डिनेंस पर ही बोल रहा हूं, मैं आउट आफ दि कांटेक्स्ट नहीं बोल रहा हूं।

**श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार)**: बिप्लव दास को एक विप्लव सुना दीजिए।

**श्री रामदास अग्रवाल**: महोदया, सवाल यह है कि आपने एक बैंक बनाना है, उद्देश्य आप तय करते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे उद्देश्यों की घोषणा करते हैं ...(**व्यवधान**)...

**श्री वी० नारायणसामी**: ये तो नए मंत्री हैं।

**श्री रामदास अग्रवाल**: कोई बात नहीं, मंत्री जी पर नहीं है, यह तो पिछले जो मंत्री गए हैं, उन पर हैं। यह तो बेचारे अभी आए हैं, इनको क्या पता है। यह भी सीख जाएंगे, आपकी संगीत में हैं।

महोदया, मैं इस बिन्दु पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपको जल्दी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वित्त मंत्री महोदय ने वादा किया था ईस्टर्न सैक्टर के लिए लेकिन मैं यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि आप यह नया बैंक बनाकर क्या आई० डी० बी० आई० पर लांछन नहीं लगा रहे? क्या आप आई० एफ० सी० आई० को चैलेंज नहीं दे रहे कि यह बैंक ईस्टर्न सैक्टर में काम नहीं कर पाया? तो आप इस बात को मानें कि यह जो आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० वगैरह जो हमारे इंस्टीटयूशन्स हैं, उन्होंने ईस्टर्न सैक्टर को निग्लेक्ट किया और, इसलिए आप नया बैंक बनाना चाहते हैं। आप नया बैंक बनाना चाहते हैं ईस्टर्न सैक्टर के लिए? आप कुछ तो कमिट् करिए? आप नया बैंक बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीटयूशन बनाना चाहते हैं लेकिन इनके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते। ये सब काम कर रहे हैं, मैंने सुना है देते हैं पैसा: तो उसका हिसाब रखिए कि आई० डी० बी० आई० ने ईस्टर्न

सैक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आई० एफ० सी० आई० ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आपके यू० टी० आई० और एल० आई० सी० वगैरह ने कितना किया, आप यह बताइए? अगर उन्होंने नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। वहां नया बैंक बनाने से क्या समाधान मिल जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। नया बैंक बनाने से कुछ लोग राज़ी हो जाएंगे, यह बात सही है। मैं मानता हूं कि यदि पूर्वी भारत की तरफ एक बैंक बनेगा, कुछ नए चेयरमैन बनेंगे, कुछ नए डायरेक्टर बनेंगे, कुछ लोग इसमें शामिल होंगे......और उनको शायद कुछ अच्छे पद मिल जाएं, गाड़ियां मिल जाएं, झंडियां मिल जाएं, उनकी मौज-मस्ती हो जाएगी लेकिन इस बैंक की दुर्दशा तो वही होनी है जो आई०आर०बी०आई० की हुई है। जब हम बनाते हैं तो बड़े अच्छे उद्देश्य पर हम बनाते हैं लेकिन जब उसका परिणाम सामने आता है तो वही जीरो सामने आता है, उसका नुकसान सामने आता है। उसकी गतिविधियां इतनी हानिकारक लगती है कि हम सोचते हैं कि हमने ऐसा काम क्यों किया। इसलिए मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि आप जो नया फुल फ्लैज्ड इन्वेस्टमेंट बैंक बनाना चाहते है, यह ठीक नहीं है। आपका आई०डी०बी०आई० है। इसकी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, उसको लोन भी मिलता है, लोग इसके शेयर खरीदते हैं। उधर आप इस बीमार कंपनी को इंजेक्शन लगाकर, 75 करोड़ रुपया साईफन करके एक नई कंपनी बनाकर मार्केट में जाना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों कर कर रहे हैं? आई०डी०बी०आई० पहले ही मार्केट में है और दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी है। उन्होंने 3,000 करोड़ रुपया इकट्ठा भी किया है। तो आपको नया बैंक बनाने की जल्दी क्यों हो रही है? इसके लिए आपको आर्डिनेंस लाने की आवश्यका क्यों पड़ी? पहले आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिस्कस करते, उसके बाद किसी नए बैंक का निर्माण करने की बात करते। इस सिक यूनिट की क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो, वह डिस्कस करते।

महोदया, मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह व्यवस्था इंडस्ट्री के हित के लिए है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए है या नहीं। आप कह रहे हैं कि चूंकि मैं वायदा कर चुका हूं और कलकत्ता जाकर मुझे घोषणा करनी है बैंक बनाने की, हमें इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। आप सारे एम०पीज़ को ले जाए। बड़ी खुशी की बात है कि चिदम्बरम साहब सचेत है अपने वायदों के प्रति लेकिन देश के 80 करोड़ लोग पूछते हैं कि आपके उन वायदों का क्या हुआ जो आपने हमसे किए थे? आपको इंडस्ट्री की फ्रिक हो रही है, होनी चाहिए, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि उनको इंडस्ट्री की चिंता नहीं करनी चाहिए लेकिन इस फील्ड में जो इंस्टीट्यूशंस मौजूद है, आप उनका खाका दीजिए और बताइए कि उन्होंने क्या किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इसका जवाब आपको संसद में देना पड़ेगा। आपको इस का जवाब देना पड़ेगा कि आपने पूर्वी सैक्टर को नैग्लैक्ट क्यों किया? वह भी हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश की इंडस्ट्री है, उनकी भी मदद होनी चाहिए थी।

महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बैंक उद्देश्य में असफल रहा है। अगर ये स्वीकार करते कि इस असफलता के कारण इसको तिलांजलि देनी है और उसकी कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करते तो हम आपका साथ देते। आपके बी०आई०एफ०आर० का क्या ढांचा है? मैं जानता हूं कि 2-2, 3-3 साल तक एक-एक इंडस्ट्री के लोग उनके यहां जूतियां रगड़ते रहते हैं और कोई फैसला नहीं होता। विवाद चलते रहते हैं, मामला अटक जाता है, बरसों तक फैसला नहीं होता। वे क्या फैसला करेंगे 3 लाख यूनिट्स के लिए? अभी जो 351 मामले इसके सुपुर्द हैं, कौन दावा कर सकता है कि बी०आई०एफ०आर० केपेबल है इन सारे सिक यूनिट्स की मदद करने के लिए या उनको सहायता देने के लिए? क्या बैंक गारंटी देगा? कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है।

इसलिए मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस आर्डिनेंस का विरोध करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आई०आर०बी०आई० को मजबूत करना है, जिस उद्देश्य को सामने रखकर यह बनाया गया था अगर उसकी पूर्ति करनी है तो इसको मजबूत बनाया जाए, इसके ढांचे को मजबूत बनाया जाए और इसकी कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की जाए। आई०आर०बी०आई० को पैसा दिया जाए, लो इंट्रस्ट रेट पर पैसा दिया जाए, इसको फाईनेंशियल सपोर्ट दी जाए क्योंकि इसमें लाखो-करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने का सवाल है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस आर्डिनेंस को वापस लीजिए और किसी और मौके पर एक विस्तृत पालिसी सिक यूनिट्स के बारे में लेकर आइए और उस पर हम विचार करेंगे और यदि आप कोई उचित समाधान लेकर आएंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे। अंत में मैं इस आर्डिनेंस का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मेरे सामने जो लिस्टेड बिजनैस है, उसके अनुसार बोम्मई साहब का स्टेटमेंट है। बोम्मई जी, आप अपना स्टेटमेंट पढ़िए।

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): Madam,......

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Madam, this is the problem we always face here, and I want to lodge my protest.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Minister, will you please yield for a minute?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Whenever we have a debate, we are confronted with a situation. You fix the time for a Minister's statement in the midst of the debate. We cannot seek clarifications; we cannot have the debate. Our proceedings get disturbed. Why should it be every time at 4.30? Why can't it be done before we start a debate or after a debate is over? Twice during the discussion on the President's Address, I was disturbed in the midst before I could complete my speech. It is not that the House has always to acommodate the Minister. Therefore, these matters should be looked into. I do not know what is happening to the House. Everything is in a chaos. They just come in to make a statement. They do not decide about it in advance.

SHRI SATISH AGARWAL: Madam, I also join my colleague in registering my protest against this method. Yesterday and the day-before-yesterday also this happened.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Is it that 4.30 is reserved for Ministers' statements?

SHRI SATISH AGARWAL: I do not know why the Minister's statement has to come in when the House about is to adjourn. Why is it that when a speech is going on and a Bill is being discussed, abruptly the Minister comes in to make a statement? Why can't the statements be made at 2 o' clock before the legislative business is taken up? How do you justify the propriety of making a statement in the midst of a debate? The debate is going on and Members are speaking and suddenly our mind is disturbed. The issue may be important, but this is not the way. This statement can be given tomorrow.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I do not object to his making a statement. It is the Minister's prerogative. He can make a statement according to his own suitability and importance of the statement that he is likely to make. But, the point made by Mr. Mukherjee and Mr. Agarwal is important. The Parliamentary Affairs Minister and the Parliament Secretariat should see to it that the proceedings of the House are much better managed than are being done now. It should be much better managed. At the beginning of the day, the Parliament Secretariat may be informed as to how many statements are to be made by how many Ministers and on how many occasions. Accordingly the time-table of the House can be worked out. Otherwise, if you just decide in the midst of a discussion, abruptly to bring the discussion to an end or postpone it, it does not make a good mark on the discussion. Nor does it justify any attention to be given to the statement of the hon. Minister. Yesterday we could not ask questions. The normal practice in the House is that we seek clarifications on a statement. So, today also we cannot seek clarifications. All that I may suggest is that today's statement may be the last statement and henceforth you can direct the Secretariat and also through the Secretariat the members of the Government, to inform you in time so that the whole thing can be prepared well. Secondly, no discussion on any subject should be postponed or adjourned to enable a statement to be made, however important that statement may be. But, since the Minister has appeared before us, let us reluctantly listen to him.

SHRI M.A. BABY: Madam, I feel that we have to bifurcate this particular statement, which the hon. Minister wants

to make now, its importance, and the style of organising the business of the Rajya Sabha. I agree with my colleagues that the Minister's statement should not be made in such a manner that it interrupts a serious discussion or debate. I agree that the statement, which is being made today is of great importance. I thank the Government for having come forward to fulfil the promise given by the Prime Minister on the floor of this House when we raised this issue. The Prime Minister had promised that the Human Resource Development Minister would make a statement. But, what I feel is that we can work out a *modus operandi* for the future. Everyday we meet in the Chairman's chamber. The Minister for Parliamentary Affairs and the Parliament Secretariat can inform about the statements to be made. There, it can be decided that either before the commencement of any discussion or afterwards this can be taken up. So, we have to arrange our business in a little more organised manner.

SHRI SATISH AGARWAL: This should not be taken as if we are opposed to the statement. It is very important. But, you may kindly remember that yesterday the Minister for Parliamentary Affairs with the permission of the Chair made a statement and sought leave of the House..... to sit up to 6 o' clock on the 12th, 13th and 17th. Why? Because it has been decided to have a debate on the General Budget. This is what has been said yesterday. The House gave him the permission, yes, we would sit up to 6 o' clock. We are here to cooperate with the Government always. Now, what about the discussion on the General Budget? It has not taken place; and it is not going to take place even tomorrow. How does this Government function? You must have a more coordinated approach with regard to a structured debate in this House. Today, he can be permitted to make the statement. But for God's sake, please instruct these Ministers and this Government to be more coordinated in their functioning

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Minister, the point raised by senior Members of this House, Shri Pranab Mukherjee, Shri Satish Agarwal, Shri Gurudas Das Gupta and Shri Baby is very, very important. Actually whenever there is some discussion on some important issue or resolution, suddenly, there is a statement by a Minister. It disturbs—I would call it—the link or chain of thought. Therefore, I would request the Secretary-General, if she is here, to take note of it. In future-in consultation with the Minister of Parliamentary Affairs—she would see to it that this kind of statement does not disturb the proceedings of a particular debate so that there won't be any kind of a problem to any Member. I think she would convey the feelings expressed by the hon. Members to the Minister of Parliamentary Affairs and to the Government. As Mr. Satish Agarwal and other Members have said, we would allow the Minister to make his statement, but not from tomorrow onwards. So, I think, with the permission of the House, I would ask the hon. Minister to make his statement.

SHRI S.R. BOMMAI: Madam Vice-Chairman, at the very outset I agree with the sentiments expressed by Members and by the Chair also. They said that when a debate is going on, there should not be any discontinuity of that debate. I do agree that there should be a continuity of debate so that it is effective. In today's Revised List of Business, I have been asked to make a statement at 4.30 P.M. It has been printed in the List of Business.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Minister, please come to the point. Please come to the point.

SHRI S.R. BOMMAI: I am coming to the point.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): You make your statement, then, we would take up some

other business.

SHRI S.R. BOMMAI: I would make my statement. I must say that the Government is prepared to accommodate and Ministers are not above the rules of this House or the conventions of this House. We are bound to respect the sentiments of the Members. Therefore, I agree with their sentiments. It is not that I am taking any objection. I was called by the Chair because it has been listed in today's business at 4.30 P.M. This matter has been discussed. I wrote a letter immediately. That is why it has been listed here. Therefore, I have been called by the Chair. Anyway, I would make the statement.

---

## STATEMENT BY MINISTER ON THE COMMEMORATION OF BIRTH CENTENARY OF SHRI V.K. KRISHNA MENON

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): Madam Vice-Chairman and hon. Members, some concern was expressed in this august House on 6th March, 1997 regarding the celebration of birth centenary of Shri V.K. Krishna Menon. It was pointed out that even the inaugural function had been organised about a week ago and that very little time was left in the centenary year to implement the commemorative programmes and activities.

The Government decided to celebrate the birth centenary of Shri V.K. Krishna Menon for a one-year period beginning from 3rd May, 1996. The celebrations would thus conclude on 3rd May, 1997. It is true that the inaugural function of the celebrations could be held only on 1st March, 1997 and we deeply regret this delay.

But let me assure this House that this delay was not a result of neglect or any motive. A number of factors beyond our control combined to cause repeated postponement of the inaugural function. We shall now do our best to make up for this loss of time and monitor the implementation of the decisions taken by the National Committee with regard to the centenary celebrations.

I would like to mention that a 71-member National Committee under the chairmanship of the Prime Minister is guiding the programmes and activities of the centenary year. A 16-member Sub-Committee of the National Committee was given the responsibility to draw up an Action Plan. I shall enumerate the important items of the Action Plan:

*The Prime Minister has already declared in this august House the Government's decision to name the Calicut Airport after Shri V.K. Krishna Menon.

*A commemorative postage stamp on Shri Krishna Menon will be released to 3rd May, 1997—the 101st birthday of Shri V.K. Krishna Menon.

*An annual V.K. Krishna Menon Memorial Lecture will commence from this year. The modalities of this lecture are being worked out by the Krishna Menon Society.

*National Book Trust will bring out an up-dated biography of Shri V.K. Krishna Menon. The task of writting the biography has been entrusted to Shri T.J.S. George and Shri V.K. Madhavan Kutty.

*A Seminar entitled, "India and the World" will be held on 14th March, 1997 at the Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi.

*It is proposed to set up memorials of Shri Krishna Menon at Delhi, Mumbai, Chennai, Midnapore and Trivandrum. A Committee has been constituted to develop the concept of these memorials. The Committee has already met and its recommendations will be available shortly.